तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2504-डीबी

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथिः **11 अप्रैल, 2023**

+रि.या. (सि.) 4479/2023 एवं सि. वि. आ. 17157/2023

जितेंद्र अहलावत ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री राजीव शुक्ला, सुश्री शिवानी कपूर और श्री सहज कर्ण सिंह, अधिवक्तागण |

बनाम

भारत संघ एवं अन्य। ...प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री जतिन सिंह, श्री केशव सहगल, श्री कशिश बजाज, श्री शिवम गौर एवं श्री शुभम अग्रवाल, अधिवक्तागण ।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

तटस्थ उद्धरण संख्या : 2023/डीएचसी/2504-डीबी

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. वर्तमान याचिका के द्वारा, याचिकाकर्ता निम्नानुसार प्रार्थना करता हैः

क. सैन्य प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीएमटी) के तत्वावधान में मिशन ओलंपिक कार्यक्रम की योजना के तहत 'मेधावी खिलाड़ी' के रूप में हवलदार के रूप में याचिकाकर्ता के शामिल होने के बारे में आधिकारिक सूचना जारी करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश देना।

ख. प्रत्यर्थीगण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना कि वे 'शामिल होने' के पत्र व्यवहार न करने के कारण की जांच करें और गलती करने वाले अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए उचित निर्देश जारी करें।

ग. प्रत्यर्थीगण को अवैध उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा उत्पन्न करने के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुकरणीय लागत के साथ-साथ अत्यधिक और अनुचित देरी के लिए याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश देना।

2. याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले विद्वान् अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त राहतों के लिए , याचिकाकर्ता पहले ही प्रत्यर्थीगण को दिनांक 01.02.2023 का कानूनी नोटिस दे चुका है, हालांकि, आज तक, प्रत्यर्थीगण से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

3.उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, हम प्रत्यर्थीगण को आज से चार सप्ताह के भीतर उपरोक्त कानूनी नोटिस पर एक तर्कसंगत निर्णय लेने और उसके निर्णय को याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर

सूचित करने का निर्देश देते हैं।

4. उपरोक्त निर्देशों के साथ, वर्तमान याचिका के साथ-साथ लंबित आवेदन का निपटारा कर दिया गया है।

5. कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि याचिकाकर्ता कानूनी नोटिस पर प्रत्यर्थीगण के निर्णय से व्यथित महसूस करता है, तो वह उचित फोरम में जा सकता है।

सुरेश कुमार कैत न्यायमूर्ति

नीना बंसल कृष्णा न्यायमूर्ति

11अप्रैल, 2023/एबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*